इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2019—फाल्गुन 2, शक 1940

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्र. एफ-02 (बी) 21-2018-तीन-जेल.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय–श्रेणी (लिपिक–वर्गीय तथा अलिपिक–वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

1. अनुसूची–एक में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	सहायक जेल अधीक्षक	269	तृतीय–श्रेणी, अलिपिक–वर्गीय	9300—34800+3600 36,200—1,14,800(लेवल—09)।" ।

2. अनुसूची–दो में, कालम (2) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

विभाग का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा	मूल सदस्यों से पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"जेल विभाग	सहायक जेल अधीक्षक	269	60 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें से 45 प्रतिशत पद खुली प्रतियोगिता द्वारा तथा 15 प्रतिशत पद जेल विभाग के ऐसे तृतीय–श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिक–वर्गीय कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जो स्नातक उपाधि रखते हों तथा जिन्होंने छह वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा इस कालावधि के दौरान कोई बड़ी सजा (दीर्घ शास्ति) न दी गई हो, द्वारा भरे जाएंगे।	40 प्रतिशत पद वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा मुख्य प्रहरी से भरे जाएंगे। टीप :– प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद से सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।	–।"

3. अनुसूची–तीन में, कालम (2) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"जेल विभाग	1. सहायक जेल अधीक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार	अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए तथा निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं रखता हो,– (क) ऊंचाई : न्यूनतम 168 से.मी. या अधिक (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) 155 से.मी. या अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) (ख) सीना : 84 से.मी. बिना फुलाए तथा 89 से.मी. फुलाने के पश्चात्। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप आवश्यक नहीं है। (ग) दृष्टि : दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि होनी चाहिए।"।

अनुसूची–चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:–

"अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिए)
मध्यप्रदेश तृतीय–श्रेणी (अलिपिक–वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम
भाग–क (तृतीय–श्रेणी अलिपिक–वर्गीय)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा पात्रता	विभागीय पदोन्नति समिति/ छानबीन समिति की संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"जेल विभाग	1. प्रमुख मुख्य प्रहरी	सहायक जेल अधीक्षक	3 वर्ष	उप महानिरीक्षक, जेल –**अध्यक्ष** अधीक्षक, केन्द्रीय जेल –**सदस्य** अधीक्षक, जिला जेल –**सदस्य**
	2. वरिष्ठ बढ़ईगिरी अनुदेशक, वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक (संयुक्त पदक्रम सूची के आधार पर)	उप अधीक्षक, उद्योग	3 वर्ष	उप महानिरीक्षक, जेल –**अध्यक्ष** अधीक्षक, केन्द्रीय जेल –**सदस्य** अधीक्षक, जिला जेल –**सदस्य**

	3. बढ़ईगिरी अनुदेशक	वरिष्ठ बढ़ईगिरी अनुदेशक	3 वर्ष	–तदेव–
	4. बुनाई अनुदेशक	वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक	3 वर्ष	–तदेव–
	5. पावर लूम मशीनमेन	पावर लूम अनुदेशक	3 वर्ष	–तदैव–
	6. मुख्य प्रहरी	प्रमुख मुख्य प्रहरी	3 वर्ष	–तदैव–
	7. प्रहरी	मुख्य प्रहरी	3 वर्ष	–तदैव–
	8. अन्वेषक	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3 वर्ष	–तदैव–

No. F-02(B)21/2018/3/Jail : In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governer of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Jail Service Recruitment Rules, 1974, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, -

1. In Schedule-I, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S.No.	Name of Post included in the service	No. of posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	Assistant Superintendent Jail	269	Class-III, Non-Ministerial	9300-34800+ 360(36,200-1,14,800 (Level-09).".

2. In schedule-II, in column (2), for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

Schedule-III in column (2), for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Name of Department	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"Jail Department	1. Assistant Superintendent Jail	21 years	As per circulars issued by the General Administration Department	The candidate must have passed Graduate Degree from any recognised University and possess following physical qualifications,- (a) Height : Minimum 168 c.m. or more (for male candidates only) 155 c.m. or more (for women candidates only). (b) Chest: 84 c.m. without expansion and 89 c.m. after expansion. Chest measurement for women candidates is not required. (c) Eye-Sight: Both the eyes should be of normal vision.".

Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SHEDULE-IV
(See Rule 14)
Madhya Pradesh Class-III (Non-Ministerial And Ministerial) Jail Services Recruitment Rules
Part-A (Class-III Non-Ministerial)

Name of Depart-ment	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Minimum Service eligibility for promotion	Composition of the Departmental Promotion Committee/Screening Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jail Depart.	1. Chief Head Warder	Assistant Jail Superintendent	3 years	Deputy inspector, General Prison –**Chairman** Superintendent, Central Jail –**Member** Superintendent, District Jail –**Member**
	2. Senior Carpentry Instructor, Senior Weaving Instructor (On the basis of combined Gradation List)	Deputy superintendent, Industry	3 years	Deputy inspector, General Prison –**Chairman** Superintendent, Central Jail –**Member** Superintendent, District Jail –**Member**
	3. Carpentry Instructor	Senior Carpentry Instructor	3 years	-do-
	4. Weaving Instructor	Senior Weaving Instructor	3 years	-do-
	5. Power Loom Machineman	Power Loom Instructor	3 years	-do-
	6. Head Warder	Chief Head Warder	3 years	-do-
	7. Warder	Head warder	3 years	-do-
	8. Investigator	Assistant Statistical Officer	3 years	-do-.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीवचन्द्र दुबे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.